NewsBroadcastersAssociation
N B A
CIN: U22211DL2007NPL165480

**प्रेस विज्ञप्ति**

**तत्काल प्रसारणार्थ**

**नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2021....** एन.बी.ए. इस बात को लेकर आश्चर्यचकित है कि बार्क इंडिया के पूर्व सी.इ.ओ. पार्थो दासगुप्ता और ए.आर.जी.आउटलियर मीडिया प्रा. लि. के प्रबंध निदेशक अर्णव गोस्वामी के बीच व्हाट्सएप पर आदान-प्रदान हुए सैंकडों संदेश हाल ही में सार्वजनिक हुए हैं। इन संदेशों से बिल्कुल साफ है कि इन दोनों व्यक्तियों ने रिपब्लिक टी.वी. को महीने-दर-महीने रेटिंग्स में ज्यादा व्यूअरशिप दिलाने के इरादे से रेटिंग्स में हेराफेरी करने में सांठगांठ की, और दूसरे न्यूज़ चैनलों की रेटिंग्स में धोखाधड़ी के ज़रिए गिरावट लाकर रिपब्लिक टी.वी. को बेजा फायदा पहुंचाया। इन व्हाट्सएप मैसेजेस में न सिर्फ रेटिंग्स में हेराफेरी का ज़िक्र है बल्कि सत्ता के गलत इस्तेमाल का भी खुलासा है। इन व्हाट्सएप मैसेज में सचिवों की नियुक्ति, कैबिनेट में फेरबदल, प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कामकाज का भी ज़िक्र है। इनसे एन.बी.ए. द्वारा अतीत में लगातार कई बार लगाये गये इन आरोपों की ही पुष्टि होती है कि कैसे एक गैर-एन.बी.ए. सदस्य ने बार्क के उच्च प्रबंधन अधिकारियों के साथ मिलीभगत के ज़रिए रेटिंग्स में हेराफेरी की।

एन. बी. ए. मांग करती है कि रिपब्लिक टी.वी. की आई.बी.एफ. की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से तब तक निलम्बित किया जाय जबतक कि रेटिंग्स में हेराफेरी का ये मामला अदालत में लम्बित है। एन.बी.ए. बोर्ड का यह भी मानना है कि रिपब्लिक टी.वी. द्वारा रेटिंग्स में की गई हेराफेरी से ब्रॉडकास्ट उद्योग की साख को बट्टा लगा है और इसीलिए अदालत का अन्तिम आदेश न आने तक रिपब्लिक टी.वी. को बार्क रेटिंग सिस्टम से बाहर रखा जाय।

एन. बी. ए. ने बार्क को यह स्पष्ट बता दिया है कि जहां तक फिलहाल नज़र आ रहा है, उसकी रेटिंग्स अब विश्वसनीय नहीं रही और हाल में हुए खुलासे से बार्क की मनमाने ढंग वाली कार्यशैली की साफ झलक मिलती है। इस खुलासे से साफ है कि रेटिंग्स सिस्टम में कोई नियंत्रण और सन्तुलन (checks and balances) नहीं है, बार्क में ही काम कर रहे कुछ लोग अपनी मर्जी के मुताबिक रेटिंग्स में फेरबदल कराने की क्षमता रखते थे, और इस तरह एक वस्तुपरक और पारदर्शी प्रणाली की जगह पर ऐसी प्रणाली कायम हुई जो प्रबंधन की सनक और पसंद (whims and fancies) पर आधारित थी। जो ओवरसाइट कमेटी बनाई गई, उसमें ब्रॉडकास्टर्स को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया और केवल बार्क से पैसे लेने वाले कंसलटेन्ट (सलाहकार) ही रखे गए ताकि स्वायत्तता (autonomy) का दिखावा बना रहे।

एन.बी.ए. यह पुरज़ोर मांग करती है कि बार्क ऐसे संदिग्ध चरित्र वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे और जिन लोगों ने बार्क की विश्वसनीयता को नष्ट किया उनके खिलाफ कानूनी और पुलिस कार्रवाई हो, क्योंकि ऐसे लोगों के कारण न्यूज़ ब्रॉडकास्ट उद्योग की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचने का खतरा है। ऐसे लोग अपने गलत कार्यों के नतीजों से बेखबर और बिना डर के अपना कारोबार अब भी कर रहे हैं।

एन. बी. ए. के लिए यह बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि जुलाई 2020 से अपने पास फॉरेन्सिक रिपोर्ट जैसी ठोस जानकारी होने के बावजूद बार्क ने कई महीनों तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस फॉरेन्सिक रिपोर्ट में रेटिंग्स में हेराफेरी होने की जानकारी दी गई थी। बार्क की स्थापना के बाद से पूरी प्रणाली में पारदर्शिता की कमी थी, ये रिपोर्ट उसी का स्पष्ट उदाहरण है। बार्क ने गोपनीयता की दुहाई देकर एन. बी.ए. से इस रिपोर्ट को न तो साझा किया, न ही दोषी ब्रॉडकास्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई की, न उस पर जुर्माना लगाया और न ही

Discom की कार्यवाही शुरु की गई। अभी वस्तुस्थिति यह है कि नये प्रबंधन के कार्यभार संभालने के बाद भी व्यापक पैमाने पर हेराफेरी जारी रही।

**एन.बी.ए. बोर्ड यह मांग करता है कि बार्क:**

1. अपनी ऑडिट काल में हुई रेटिंग्स की सत्यता पर एक स्पष्ट बयान दे और हिन्दी न्यूज़ जॉनर के लिए ऑडिट कराये,

2. दोषी ब्रॉडकास्टर के आंकड़ों को रद्द करे और शुरु से लेकर अब तक सभी न्यूज़ चैनलों की रैंकिंग की सही स्थिति का पुनर्निधारण करे,

3. इस बात का स्पष्टीकरण दे कि पिछले तीन महीने के दौरान रेटिंग्स को सुरक्षित रखने के लिए बार्क ने कौन से ठोस कदम उठाये,

4. पूरी प्रकिया में पारदर्शिता लाये और एक ऐसी प्रणाली कायम करे जिसमें न्यूज़ चैनल जगत पर असर डालने वाली रेटिंग्स में कोई भी बदलाव एन.बी.ए. प्रतिनिधियों को लेकर बनी बार्क सब-कमेटी से सलाह मशविरे के बाद ही लागू हो.

5. यह सफाई दे कि रेटिंग्स में इतने बड़े पैमाने पर हेराफेरी करने वाले ब्रॉडकास्टर को सज़ा देने के लिए बार्क के संविधान में क्या प्रावधान हैं और इस मौजूदा केस में क्या कार्रवाई की जाएगी,

6. न्यूज़ चैनलों की रेटिंग्स के प्रकाशन का काम तब तक स्थगित रखा जाय जब तक कि बार्क अपनी इन सभी कार्रवाइयों का ब्यौरा स्टेकहोल्डर्स के साथ साझा नहीं करता।

एन.बी.ए. बोर्ड इस बात को स्पष्ट रूप से बताना चाहता है कि महीने-दर-महीने बार्क ने रेटिंग्स के बारे में जो गलत आंकड़े जारी किये, उससे न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स को न सिर्फ प्रतिष्ठा की हानि हुई, बल्कि उन्हें भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा है, और बार्क का यह फर्ज़ बनता है कि वह स्पष्टीकरण दे।

Annie Joseph

एनी जोसेफ
सेक्रेटरी जनरल